प्रेस नोट

जनपद सोनभद्र

दिनांकः- 08.04.2024

एसओजी/सर्विलांस व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस द्वारा 52 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित मोबाइल की रसीद, बार कोड, नकली मोहर व एक अदद मोटर साइकिल बरामद कर 02 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

चन्द्रभान सिंह पुत्र भुल्लन यादव द्वारा थाना रॉबर्ट्सगंज पर सूचना दी गयी कि दिनांक 20.02.2024 को दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपने बच्चे की तबियत खराब बताते हुए ONE PLUS कम्पनी का मल्टीमिडिया एण्ड्रायड स्मार्ट फोन 09 हजार रुपये में उनको बेचा गया था बेचते समय उन लोगों द्वारा मोबाइल का बिल भी दिया गया था जब इनके द्वारा उक्त मोबाइल फोन में सिम लगाया गया तो फोन आया कि आप द्वारा जो मोबाइल फोन खरिदा गया है वह गड़बड़ है तथा जिसका यह मोबाइल है उसके साथ घटना हो गयी है जिससे इनको संदेह हुआ कि फर्जी बिल देकर गलत मोबाइल फोन बेचा गया है। उक्त सूचना पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0-253/2024 धारा 419,420,467,468,471 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक सोनभद्र, डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री कालू सिंह निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राहुल पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलांस, थाना रॉबर्ट्सगंज की संयुक्त टीम का गठन किया गया। इस टीम द्वारा अचूक आसूचना संजाल तैयार कर प्राप्त आसूचना के आधार पर दिनांक 07.04.2024 को मधुपुर चन्द्रगुप्त मौर्य इण्टर कॉलेज के पास से घटना में संलिप्त दो नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से 52 अदद मोबाइल फोन, कूटरचित मोबाइल की रसीद, बार कोड, नकली मोहर व एक अदद मोटर साइकिल बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा बताया कि उनके पास से बरामद मोबाइल फोन चाइनिज हैं जिसे वे अपने गांव के ही अभिषेक चौहान से तीन से चार हजार रुपये प्रति पीस के हिसाब से खरीदते हैं तथा मीरजापुर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, चन्दौली, सोनभद्र तथा आस-पास के जिलों में भोले भाले लोगों को अपने बच्चों की बिमारी या पैसे की किल्लत बताकर फर्जी बिल दिखाकर 09 से 10 हजार की कीमत में बेच देते हैं। यही हमारा व्यापार है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

01. दिनेश चौहान पुत्र रामेश्वर चौहान निवासी मकान नं0-13 डाल मऊ नावरा थाना नेपानगर जनपद बुरहानपुर मध्य प्रदेश उम्र लगभग 43 वर्ष।

02. कमल बेलदार पुत्र गोविन्द निवासी ग्राम रामपुर थाना नेपानगर जनपद बुरहानपुर मध्य प्रदेश उम्र लगभग 43 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01. 52 अदद चाइनिज एन्ड्रायड मोबाइल फोन।

02. 26 अदद कुटरचित फर्जी मोबाइल की रसीद व imei बार कोड स्टीकर।

03. 4000 रुपये नगद बरामद।

04. 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

05. एक अदद नन्दनी कम्यूनिकेशन मोबाइल शॉप की मोहर।

गिरफ्तारी /बरामदगी में सम्मिलित पुलिस टीम का विवरणः-

01. प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र ।

02. निरीक्षक राम स्वरूप वर्मा प्रभारी एसओजी/स्वॉट जनपद सोनभद्र।

03. उ0नि0 अमित त्रिपाठी प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद सोनभद्र।

04. उ0नि0 अरविन्द कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी सुकृत थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।

05. हे0का0 शशि प्रताप सिंह, हे0का0 जगदीश मौर्या, हे0का0 सतीश पटेल, का0 रितेश पटेल, का0 अजीत यादव, का0 प्रेम प्रकाश चौरसिया स्वाट/एसओजी टीम जनपद सोनभद्र।

06. हे0का0 प्रकाश सिंह, हे0का0 सौरभ राय, का0 अमित सिंह सर्विलांस टीम जनपद सोनभद्र।

07. हे0का0 अजय मौर्या, हे0का0 चालक नन्दलाल राम, का0 रमेश गौड़, का0 अक्षय कुमार यादव, का0 राजेश कुमार थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र।